अनुदान संख्या 83 - पेयजल और स्वच्छता विभाग
GRANT No. 83 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	10583,78,00		10583,80,00	10569,60,58	-14,19,42
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,70,46

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	952199.00	1056557.81	1056508.85	- 48.96
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	104356.81			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	105800.00	..	..	..
पु.	R.	- 105800.00			

(I) ₹105803.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹105800.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - ग्रामीण जलपूर्ति-सामान्य कार्यक्रम" - ₹90000.00 लाख; और

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - ग्रामीण सफाई कार्यक्रम" - ₹15800.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" -

(क) "राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन" - ₹581.07 लाख की बचत (₹3960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने, कम दौरे किए जाने तथा सामान और सेवाओं की अधिप्राप्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "मानव संसाधन विकास" - ₹278.17 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी संस्थाओं से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "निगरानी और मूल्यांकन" - ₹495.75 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-निविदा के लिए प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹105803.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these ₹105800.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme - Rural Water Supply-Normal Programme" – ₹90000.00 lakhs; and

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services- Rural Sanitation Programme" – ₹15800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2215" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme" –

(a) "Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission"- saving of ₹581.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3960.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient viable proposals from the implementing agencies, less tours undertaken and non receipt of claims against procurement of goods and services

(b) "Human Resource Development"- saving of ₹278.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient viable proposals from the technical institutions.

(c) "Monitoring and Evaluation"- saving of ₹495.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for e-tendering.

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - निर्मल ग्राम पुरस्कार" - ₹5413.10 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सख्त प्रक्रिया नियंत्रण और निगरानी की वजह से पुरस्कार विजेताओं की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Nirmal Gram Puraskar" - saving of ₹5413.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction in number of awardees owing to strict process control and monitoring.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹70.60 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹70.60 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹111207.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत निम्नलिखित शीषों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹111207.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2010 and March, 2011 under Major Head "2215"- under the following heads :-

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान" - ₹89995.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹89993.73 लाख था।

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Grants to State Boards, Authorities etc."- ₹89995.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹89993.73 lakhs.

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - राज्य जल और सफाई मिशन, जिला जल और सफाई समितियां, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को अनुदान" - ₹21212.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹21211.00 लाख था।

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Grants to State Water and Sanitation Mission (SWSM), District Water and Sanitation Committees, Missions, DRDAs etc."- ₹21212.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹21211.00 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹73.73 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹73.73 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.